

June 13, 2023

The Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Floor 25, D. L. Toward

Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 BSE Scrip code – [532541]

Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012

The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,

Bandra, Mumbai – 400 051 NSE Scrip code – [COFORGE]

Subject: Newspaper publication—Notice of 31st Annual General Meeting

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, the Company has published the "Notice of 31st Annual General Meeting" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are enclosed.

Kindly take this on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited

Barkha Sharma Company Secretary ACS: 24060

Encl: as above

CIN: L72100DL1992PLC048753

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार योगेश उपाध्याय और ज्योति उपाध्याय को 27.11.2019 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLAGR00280149 की राशि रू. 31,39,973/- (रूपये इकतीस लाख उनतालीस हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र) और 27.11.2019 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **08.06.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदूद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 31,39,973/- (रूपये इकतीस लाख उनतालीस हजार नौ सौ तिहत्तर मात्र) 27.11.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

ई.एम.ई एन्क्लेव में प्लॉट नंबर 45- ए के निर्माण के साथ जिसका क्षेत्र 210 स्क्वे. यार्डस यानि 175.58 स्क्वे. मीटर्स, ताजगंज वार्ड परगना आगरा-282001, उत्तर प्रदेश। संपत्ति निम्नानुसार परिबद्ध है:

पर्व : अन्य का प्लॉट पश्चिम : 25 फीट चौड़ा पैसेज उत्तर : 30 फीट चौड़ा पैसेज दक्षिण : अन्य का घर

दिनांक : 08.06.2023 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : आगरा

Coforge कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100DL1992PLC048753 **पंजी. कार्यालय** : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रविदास मार्ग कालकाजी नई दिल्ली - 110019 फोन : +91 (11) 41029297 ई-मेल: investors@coforge.com वेबसाइट: https://www.coforge.com

31वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीए) वृहस्पतिवार, 06 जुलाई, 2023 को पूर्वा. 09.00 बजे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडिंग वैजुअल मोड (ओएवीएम) के माध्यम से) उक्त एजीएम के आयोजन की सूचना में विनिर्दिष व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा इसके सर्कुलर्स दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितम्बर, 2020, 31 दिसम्बर 2020 तथा 13 जनवरी, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसम्बर, 2022 ("एमसीए सर्कुलर्स" के रूप र संदर्भित) तथा सेबी द्वारा इसके सर्कलर नंबर सेबी/एचओं/सीएफडी सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020 तथ सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी. 2021 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 ("सेबी सर्कुलर" के रूप में संदर्भित) के भी अनुसरण कम्पनियों को वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन एक उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिव उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मोड (ओएवीएम) के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, 31वीं एजीएम वीसी /ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कम्पनी का पंजीकत कार्यालय एजीएम हेत स्थल माना जाएगा। वीसी/ओवीएएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश एजीएम आयोजन की सूचना में वर्णित हैं।

कम्पनी 12 जून, 2023 को ई—मेल, जिसमें 31वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समा वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट दी गई है, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज चुकी है, जिनकी ई–मेल आईडी'ज डिपॉजिटरीज अथवा कम्पनी के पास पंजीबद्ध हैं। एमसीए एवं सर्कुलर्स के दृष्टिगत वार्षिक रिपोट सहित एजीएम सूचना की भौतिक प्रतियां प्रेषित नहीं की जा रही हैं तथा एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट केवल ई-मेल द्वारा भेजी गई है।

सदस्यगण, जिनको सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसे कम्पनी की वेबसाइट www.coforge.com पर 'investors' सेक्शन से डाउनलोड कर संकते है अथवा उसकी सॉफ्टकॉर्प उपरोक्त ई–मेल आईडी पर कम्पनी सचिव को एक लिखित अनुरोध भेजकर अथवा कम्पनी व पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। एजीएम की उपरोक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोट नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट https://www.nseindia.com और बोॅम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज र्क वेबसाइट https://www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं । उन शेयरधारकों, जिनकी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं हैं, से उनकी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत करने हेतु कम्पनी से investors@coforge.com पर अथवा एनएसडीएल/सीडीएसएल (डीमैटीरियलाइज्ड शेयर्स के मामले में) अथवा अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड ('आरटीए') (भौतिक शेयर्स के मामले में) rta@alankit.com पर सम्पर्क करने तथा सभी शेयरधारकों द्वार . हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, पैन कार्ड तथा पता प्रमाण की स्व–सत्यापित प्रतियों सहित भेजने का अनरोध किया जाता है।

वीसी/ओवीएएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने संबंधी अनुदेश तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रतिभागिता अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का ढंग एजीएम आयोजन की सचना में दिया गया है। भौतिक रूप में अथवा इलेक्टॉनिक रूप में शेयरों के धारक ऐसे शेयरधारकों जिनके द्वारा अपना ई—मेल पता कम्पनी अथवा संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया है, के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स के संबंध में अनुदेश भी सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओवीएएम सविधा के माध्यम से बैठक में भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपने भौतिक शेयर अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप परिवर्तित करवाने और भौतिक शेयरों के साथ जुड़े सभी जोखिम समाप्त करने पर विचार करने व अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन . नियमावली, 2014, कम्पनीज (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा संशोधित, व नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों और सामान्य बैठकों के विषय में सचिवीय मानकों ('एसएस-2') तथा अन्य लाग प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को 31वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसार के संबंध में एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं अनबंधित की हैं।

रिमोट ई—वोटिंग की अवधि रविवार, 02 जुलाई, 2023 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होर तथा बुधवार, 05 जुलाई, 2023 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। तदुपरांत एनएसडीएल द्वारा ई—वोटिंग मॉडयल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कम्पनी के सदस्य, जो विच्छेदन तिथि बहस्पतिवार, २९ जन, २०२३ को भौतिक अथवा डिमैटीरियलाइज्ड रूप ग शेयर धारक हैं, अपने वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम में वोट डाल सकते हैं। सदस्यों व रेंग अधिकार विच्छेटन विधि को कमानी की पटल शेयर पंजी में उनके शेयर होंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामिय के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई—वोटिंग अथव एजीएम में वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा। वह व्यक्ति जो विच्छेदन तिथि को सदस्य नहीं है, इस सूचना को जानकारी के निमित्त मात्र समझे। ई—वोटिंग / एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिय

कोई व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी व सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि अर्थात बृहस्पतिवार, 29 जून, 2023 को शेयरधारक है evoting@nsdl.co.in अथवा investors@coforge.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप रिमोट ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीबद्ध हैं, तब आप अपनी मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एजीएम में भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम उपस्थित वे सदस्य, जिनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, एजीएम में अप अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वे सदस्य, जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल चुके हैं, एजीएम में उपस्थित होने के हकदार होंगे, परंतु दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

मैसर्स नित्यानन्द सिंह ऐण्ड कम्पनी कम्पनी सेकेटरीज के श्री नित्यानन्द सिंह कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668) को वोटिंग तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इसकी अधिसूचना दिनांकित 24 जनवरी, 2022 के माध्यम से आदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के अंतरण हेतु सभी अनुरोध, उनके ट्रांसमिशन एवं ट्रांसपोजीशन अनुरोधों सहित, केवल डिमैटीरियलाइज्ड रूप में प्रोसेस किए जाएंगे। उसको ध्यान मे रूपिता सार्वा करने कि साथ जुड़े सभी जोखिम समाप्त करने तथा डिमैटीरियलाइजेशन के विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए, सदस्यों को उनके द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयर डिमैटीरियलाइज करवाने की सलाह दी जाती है। सदस्यगण इस संबंध में कम्पनी से सम्पर्क कर

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थित में सदस्यग https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू ज) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोलफ्री नंबर 1800 1020 990 तथा 1800 22 4430 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्यगण कम्पनी सचिव को भी investors@coforge.com पर लिख सकते हैं।

वास्ते कोफोर्ज लिमिटेड बरखा शर्मा

तिथि : 12 जून, 2023 स्थान : नोएडा ACS: 24060

एल&टी फाइनैंस लिमिटेड

दिनांक: 13.06.2023

स्थान: दिल्ली

पंजीकत कार्यालय: 15वीं मंजिल, पीएस सजन टेक पार्व

लॉट नं. 52, ब्लॉक डीएन, सेक्टर वी, सॉल्ट लेक सिटी

कोलकाता 700 091. जिला 24-परगनाज नॉर्थ।

CIN No.: U65910WB1993FLC060810 शाखा कार्यालय: दिल्ली

यूको बैंक 😭 UCO BANK सम्मान आपके विश्वास का

निविदा की सचना

यूको बैंक निम्नलिखित मदों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) आमंत्रित करता है:-इंटरनेट पोटोकॉल टेलीफोन (आईपी टेलीफोन) की खरीट।

2 संख्या में डेस्क प्रो वीसी की खरीत।

शाखाओं/कार्यालयों में नेटवर्क स्विच की आपूर्ति, स्थापना, कार्यान्वन एवं रख रखाव। किसी भी विवरण के लिए कृपया https://www.ucobank.com/English/tenders.aspx और https://gem.gov.in वेबसाइट पर देखें।

कब्जा सूचना

दिनांक: 13.06.2023

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **कुलदीप शर्मा, हेमलता शर्मा और सुभाष कुमार त्यागी** को 14.02.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLHDW00214040 की राशि रू. 7,05,268.74/- (सात लाख पाँच हजार दो सौ अड़सठ रूपये और चौहत्तर पैसे मात्र) और 13.02.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचन सूचना जारी की थी।

(अचल संपत्ति हेतू)

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **07.06.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदुद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 7.05.268.74/- (सात लाख पाँच हजार दो सौ अडसठ रूपये और चौहत्तर पैसे मात्र) 13.02.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय प्लॉट नंबर 17 और 18, खसरा नंबर 315 भूखंड संख्या 174 का मिन का हिस्सा होने के नाते. जिसका नाप पर्व-40 फीट. पश्चिम-40 फीट. उत्तर-32 फीट और दक्षिण-32 फीट. कल क्षेत्रफल 1280 वर्ग फीट या 118.96 वर्ग मीटर है, टिहरी विस्थापित कॉलोनी, गांव सलेमपुर महमूद-1, परगना रुड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार, हरिद्वार-249408, उत्तराखंड में स्थित है और जो निम्न प्रकार से सीमाबद्ध है:

: प्लॉट नंबर 173 पश्चिम द्वारा : प्लॉट नंबर 16 पूर्व द्वारा उत्तर द्वारा : प्लॉट नंबर 176 दक्षिण द्वारा : 16 फीट चौडी सडक

दिनांक: 07.06.2022 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : हरिदार

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी

होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार राहुल कुमार प्रोपराइटर मैसर्स आर सिल साइंटिफिक ग्लास वर्क्स और पूजा देवी को 27.07.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLAGR00446376** की राशि रू.17,07,798.69 (रूपये संत्रह लाख सात हजार सात सौ अदानबे और उनहत्तर पैसे मात्र) और 27.07.2022 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **08.06.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.17,07,798.69 (रूपये सत्रह लाख सात हजार सात सौ अट्ठानबे और उनहत्तर पैसे मात्र) 27.07.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

खसरा नं. 2158 का हिस्सा प्लॉट नं. 224 संपत्ति के सभी भाग और खंड, माप 200 स्क्वे. यार्डस यानि 167.22 स्क्वे. मीटर्स, ब्लॉक-बी पर स्थित, चंद्र नगर, मौजा नारायच, तहसील एत्मादपुर और जिला आगरा 282005, उत्तर प्रदेश और जो इस प्रकार परिबद्ध है:-

पूर्व : प्लॉट नं. 223 ब्लॉक - बी पश्चिम : प्लॉट नं. 225 ब्लॉक - बी दक्षिण : रास्ता 30 फीट चौडा : श्री विजय कुंज की भूमि

सही/-प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 08.06.2023 इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : आगरा

> 👝 इंडिया एक्जिम वैंक India Exim Bank

भारत का आयात-निर्यात बैंक सेंटर वन बिल्डिंग, फ्लोर नं. 21, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कॉम्प्लैक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 सार्वजनिक सूचना

- . इरादतन चूककर्ताओं के रूप में ऋणियों के वर्गीकरण हेतु बैंक की समिति (''समिति'') ने इरादतन चूककर्ताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य परिपत्र, दिनांकित ०१ जुलाई, २०१५ (''परिपत्र'') के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं के रूप में दोषी ऋणियों / गारंटरों / निदेशकों का वर्गीकरण / पहचान करने के लिए कार्यवाही करना शुरू कर दिया है.
- 2. तदनुसार, निम्नलिखित ऋणियों और उनके निदेशकों तथा गारंटरों को कारण बताओ नोटिस

(एससाएन) जारा किए गए थ.					
पक्ष का नाम	पक्ष की भूमिका	सीआईएन / डीआईएन नं.	एससीएन दिनांक	व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि	
श्री दीपक पुरी	मोजर बेयर सोलर	00002189	12-01-2021	11-07-2023	
	लिमिटेड और मोजर				
	बेयर इंडिया लिमिटेड				
	के निदेशक				

- 3. हालाँकि, उपरोक्त पक्षों को आरपीएडी/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए एससीएन बिना पहुँचे
- 4. तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त ऋणी, गारंटर और निदेशक उन्हें जारी किए गए एससीएन की प्रतियाँ दिनांक 19-16-2023 से 21-06-2023 के बीच सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हमारे मुख्यालय, सेंटर वन बिल्डिंग, फ्लोर 21, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 पर स्थित है, से प्राप्त कर लें. इस इरादतन चूककर्ता कार्यवाही के संबंध में कोई भी पत्र-व्यवहार cbwd@eximbankindia.in पर किया जा सकता है. वैकल्पिक रूप से हमारे लैंडलाइन नंबर 022-22172632 पर भी हमसे संपर्क
- 5. इसके अलावा, कृपया यह भी ध्यान में रखें कि उपरोक्त पैरा 2 में उल्लेखित विवरणों के अनुसार उपरोक्त पक्षों को हमारे प्रधान कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है. यदि उपरोक्त पक्ष एससीएन प्राप्त नहीं करते हैं या व्यक्तिगत सुनवाई में भाग नहीं लेते हैं, तो समिति द्वारा उक्त परिपत्र के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप ऋणी, उनके निदेशक और गारंटर इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं.

स्थान : मंबर्ड दिनांक: 13.06.2023

L&T Finance

आधिपत्य (कब्ज़ा) सूचना

(नियम - 8(1))

इस पत्र के हस्ताक्षरकर्ता (लएंडटी फाइनैंस लिमिटेड (पुराना नाम एलएंडटी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड को एनसीएलटी मुंबई के साथ – साथ एनसीएलटी कोलकाता ('एलटीएफ') द्वारा स्वीकृत अवशोषण द्वारा मर्जर की पद्धित से समेकन योजना के अंतर्गत 12 अप्रैल, 2021 से एलएंडटी फाइनैंस लिमिटेड के साथ बिलीन कर दिया गया है) के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय संपत्ति प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और कथित कानून की धारा 13(12) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम 3) के साथ रखने पर लागू अधिकारों का उपयोग करते हुए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार और गैरेंटर्स को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में व्यक्त राशि के साथ मांग सूचना की तिथि से भुगतान/वास्तविक प्राप्ति तक लागू अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क चुकाने की एक मांग सूचना जारी की थी। कर्जदार/सह-कर्जदार/गेरेंटर द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण कर्जदार/सह–कर्जदार/गैरेंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि कर्जदार/सह–कर्जदार/गैरेंटर द्वारा मुगतान न किए जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम की धारा 13 के साथ नियम 8 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए यहाँ व्यक्त संपत्ति का आधिपत्य (कब्ज़ा) ले लिया है।

ऋण खाता	उधारकर्ता/ओं,	ह-उधारकर्ता/ओं बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण		लिए गए कब्जे का	
संख्या	सह–उधारकर्ता / औ और गारंटीदाताओं का नाम			बकाया राशि (₹)	दिनांक और प्रकार
DELHL140007	9 मोहित कपिल	इस पते पर स्थित संपत्ति का प्रत्येक भूखंड – प्लॉट नं. 234 (FF), ब्लॉक और पॉकेट - G-29, सेक्टर – 03, रोहिणी, नयी दिल्ली, दिल्ली उत्तर पश्चिम दिल्ली भारत 110085		रु. 2383900.04/- (तेईस लाख तिरासी हज़ार नौ सौ रुपये चार पैसे मात्र) 04.03.21 की तारीख तक	07/06/2023 (प्रतीकात्मक आधिपत्य)

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्यस रूप से एतदद्वारा संपत्ति का सौदा न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति का कोई भी सौदा माँग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ माँग नोटिस में उल्लिखित राशि के लिए एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा

प्राधिकृत अधिकारी

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टशन ऑफ फायनांशियल असेटर एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार शरद प्रताप सिंह भदौरिया और दीप्ति परिहार को 17.03.2022 की सूचना में वर्णन के अनसार **कर्ज खाता नं. HHLDMT00272230** की राशि **रू. 35.31.495.89/- (पैंतीस लाख डकतीर** हजार चार सौ पिचानवे रुपये और नवासी पैसे मात्र) और 14.03.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्रद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता व सुचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 35,31,495.89/- (पैंतीस लाख इकतीस हजार चार सौ पिचानवे रुपये और नवासी पैसे मात्र) 14.03.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा ।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण फ्लैट बीयरिंग नंबर सी/यूसी-1401 जो 14वीं मंजिल पर है जिसका सुपर एरिया 875 वर्ग फीट यानी 81.28 वर्ग मीटर है ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ''आदित्य अर्बन कासा'' के नाम से प्रसिद्ध ग्रुप

दिनांक : 07.06.2022 प्राधिकृत अधिकार्र इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : नोएडा

कब्जा सूचना

जबिक एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (अर्सिल) के प्राधिकृ अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण और प्रतिभति हेत प्रवर्तन अधिनियम, २००२ और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम 3 के सहपठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से उत्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी कर निम्नलिखित उधरकर्ताओं से आहवान किया गया है कि वे उक्त सूचनोंओं की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान की दिनांक तक लागू, आकिस्मक खर्च, लागत, शुल्क आदि के साथ—साथ लागू दरों पर ब्याज के साथ अपने संबंधित नाम के विरुद्ध उल्लेखित राशि

का	रक साथ भुगतान करें।		
क्रं. सं.	उधारकर्ता /सह – उधारकर्ता का नाम/ऋण खाता सं./ क्रेता बैंक	कुल बकाया(रू. में) मांग सूचना आज दिनांक तक	कब्जे का प्रकार और दिनांक
1	बिपिन बिहारी साहू / पूर्णा चंद्रा स्कूल /	₹5.63,97,322.77/-	भौतिक

4010HL51607325/ 4010HL51612829 09.12.2021 तक 09.06.2023 संपत्ति का विवरण : प्लॉट सं.2849, प्रथम तल, ब्लॉक जे, सैनिक कॉलोनी, सेक्टर 49, , गरीदाबाद, हरियाणा बिना छत अधिकार और भवन के स्टील्ट क्षेत्र में एक कार पार्किंग मापक 235 वर्ग गज लगभाग, संपत्ति बिपिन बिहारी साहू और पूर्णा चंद्रा स्कूल के नाम है। जबकि यहां वर्णित उधारकर्ताओं देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद द्वारा विशेष रूप से ऊप

उल्लेखित उधारकर्ताओं को और सामान्य रूप से जनता को सचित किया गया है कि अर्सिल वे प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पिटेत उक्त नियमों के नियम ६ के अंतर्गत तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में रऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का उपरोक्त दिनांकों पर भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लेखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे उपरोत्त संपत्तियों/प्रत्याभत परिसंपत्तियों से कोई लेन–देन ना करें और उक्त संपत्तियों/प्रत्याभर परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेन—देन आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड दिनांक : 13.06.2023

एसेट रीकंस्ट्क्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड CIN: U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय : दा रूबी, 10वां तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई–400 028 : +91 2266581300 गर्मा का पता : इकाई सं 1008, 11वां तल, वेस्ट ऐन्ड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक्ट सेंटर, नई दिल्ली– 110)58, फोन नं. : 011–41775206

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **कुलदीप शर्मा और हेमलता शर्मा** को <mark>14.02.2023</mark> की सूचना में वर्णन के अनुसार **क**ज खाता नं. HHLHDW00380054 की राशि रू. 5,93,201.24/- (पाँच लाख तिरानवे हजार दो सौ एक रुपये और चौबीस पैसे मात्र) और 13.02.2023 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हए अभियाचना सचना जारी की थी । धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता के सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नेयम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों क कार्यान्वयन करके 07.06.2023 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 5,93,201.24/- (पाँच लाख तिरानवे हजार** दो सौ एक रूपये और चौबीस पैसे मात्र) 13.02.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय प्लॉट नंबर 17 और 18, खसरा नंबर 315 भूखंड संख्या 174 का मिन का हिस्सा होने वे नाते, जिसका नाप पूर्व-40 फीट, पश्चिम-40 फीट, उत्तर-32 फीट और दक्षिण-32 फीट, कुल क्षेत्रफल 1280 वर्ग फीट या 118.96 वर्ग मीटर है, टिहरी विस्थापित कॉलोनी, गांव सलेमपर महमद-1, परगना रुडकी, तहसील एवं जिला हरिद्वार, हरिद्वार-249408, उत्तराखंड में स्थित है और जो निम्न प्रकार से सीमाबद्ध है:

पूर्व द्वारा : प्लॉट नंबर 173 पश्चिम दारा : प्लॉट नंबर 16 उत्तर द्वारा : प्लॉट नंबर 176 दक्षिण द्वारा : 16 फीट चौडी सडक

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : हरिद्वार

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सचित किया जाता है कि नोएडा की सम्पत्ति संख्या 'बी-10 सैक्टर-108 'डी-26 सैक्टर -108'. 'डी-48 सैक्टर-108' एवं 'डी-93 सैक्टर-48, स्व० श्री आर० एन० चौधरी के नाम पंजीकत है । ये चारों सम्पत्तियां पंजीकृत वसीयतनामे के द्वारा दिवंगन्त स्व० आर० एन० चौधरी के पत्र श्री सौगता चौधरी वे नाम मुटेशन की जा रही है । यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 30 दिन के अन्दर नोएडा प्राधिकरण के आवासीय विभाग में सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

PUBLIC NOTICE aid document has been misplaced/lost lf, any person/s finds/holding the below said document is/are requested to return the same

प्रस्तत कर सकता है ।

Document served between N.T.I. (National Technological Institutions) housing Co-Operative Society Ltd. And Dr. Ajoy Kumar Sur under the document bearing No. 3918/95-96 Original Rectification deed dated 30.08.1995 registered at Yelahanka Sub-Registrar office.

ORIGINAL DOCUMENT MISPLACED/LOST

to me at the below stated address

Description of the property under the misplaced/lost original document All that piece and parcel of the site No. 387 which is situated at Raieev Gandhi Nagar II phase, Kodigehalli, Yelahanka Bengaluru, Karnataka PIN- 560 092 The report of the same has been lodged at the Station house officer Kaushamb Sector IV Ghaziabad 20.10.12

f found, kindly inform to Sri. Santanu Sur a 1011, Express Ápartments, Vaishali, Sector IV Gaziabad 201 012. Mobile No. +91 7142366989

Place: Bengaluru | Date: 13.06.23

BAJAJ बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड कारपोरेट कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, 5वाँ तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411014

दिनांक: 07.06.2022

शाखा कार्यालय जयपुरः तीसरा तल, लैंडमार्क टॉवर, जय क्लब के सामने, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302001 शाखा कार्यालय दिल्ली: 14वाँ तल, अग्रवाल मेट्रो हाईट्स, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी **मेसर्स बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए एतदृद्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूँ कि अधोल्लिखित कर्जदार(ऑ) सह–कर्जदार(ओं) जो अपने दायित्व पूरा करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं अर्थात **बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा उनको संपत्ति के विरुद्ध दि गए गृह ऋण(ओं) / ऋण(ओं) के लिए राशियों अर्थात मूलधन और ब्याज व इस पर प्रोद्भूत अन्य प्रभारों के पुनर्भुगतान में चूक की है और इसवं स्वरूप ऋण अधोल्लिखित तारीखों के अनुसार **अनर्जक आस्ति (एन.पी.ए.)** हो गया है∕गए हैं। तद्नुसार, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ए पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) और इसके नियमों के तहत उनको उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचना जारी की गई हालांकि, वह बिना सुपुर्द हुए लौट आई और इस प्रकार कर्जदार(ओं) / सह–कर्जदार(ओं) उनके द्वारा समय–समय पर ली गई ऋण सुविधाओं के लिए अफ समस्त बकाया देयों को चुकता करने के लिए इस प्रकाशन द्वारा सूचित किया जाता है। प्रवर्तन की जाने वाली प्रत्याभूत/ ऋण खाता संख्या / कर्जदार(ओं) / सह-कर्जदार(ओं) /

जमानती(ओं) का नाम और पता	बंधक अचल परिसंपत्ति/संपत्ति का पता	तारीख और राशि		
गाखाः जयपुर	निम्न गैर–कृषि संपत्ति के समस्त भाग व खंडः	31 मई, 2023		
लएएन नंः H419HLD0422862 और H419HLT0436890	यूनिट नं. 103, बिल्ट अप एरिया 940 वर्ग फुट (बैकसाइड	और		
. आकाश सोधानी (कर्जदार), पताः 73, राम नगर, शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री	फ्लैट), भूतल, प्लॉट नं. 136, गणेश नगर स्कीम, गाँव	₹. 25,93,536/-		
ागर, जयपुर, राजस्थान—302016। अन्य पताः यूनिट नं. 103 (बैकसाइड	बलरामपुरा, उर्फ खेजदो का बास तहसील सांगानेर,	(रुपये पच्चीस		
लैट), भूतल, प्लॉट नं. 136, गणेश नगर स्कीम, गाँव बलरामपुरा, उर्फ	जयपुर-302020। सीमाएँः पूर्वः प्लॉट नं. 125, पश्चिमः	लाख तिरानवे		
ब्रेजदो का बास तहसील सांगानेर, जयपुर—302020 2. हेमंत कुमार सोघानी	रोड, उत्तरः प्लॉट नं. 135, दक्षिणः प्लॉट नं. 137	हजार पाँच सौ		
सह—कर्जदार), 73, राम नगर, शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर,		छत्तीस मात्र)		
ाजस्थान–302016				
गाखाः दिल्ली,	निम्न गैर–कृषि संपत्ति के समस्त भाग व खंडः	31 मई, 2023		
लएएन नं: 401HSL94558774 और 401STY96743194	डी—106, ब्लॉक—27, बेस्ट व्यू अपार्टमेंट्स, माप 72 वर्ग	और		
. ओम प्रकाश गिरि (कर्जदार),	मीटर, एलआईजी फ्लैट्स सेक्टर—99, सलारपुर, गौतमबुद्ध	₹. 27,53,896/-		
ाताः डी–106, ब्लॉक–27, बेस्ट व्यू अपार्टमेंट्स, एलआईजी फ्लैट्स	नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201304	(रुपये सत्ताईस लाख तिरपन हजार		
नेक्टर—99, सलारपुर, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201304	सीमाएँः पूर्वः प्रवेश गेट नं. २, उत्तरः रोड, पश्चिमः प्रवेश	आठ सौ छियानवे		
	गेट नं. 1, दक्षिणः सफल डेयरी	मात्र)		
गाखाः दिल्ली,	निम्न गैर–कृषि संपत्ति के समस्त भाग व खंडः	31 मई, 2023		
लएएन नं: H401HHL0205689 और H401HLT0216493	एलआईजी फ्लैट नं. 100, 4वाँ तल, प्लॉट नं. जीएच3	और		
. वी थिरुकुमारन (कर्जदार), एच.नं.— ।—288, दूसरा तल, दक्षिणपुरी,	सेक्टर 28, रोहिणी, नई दिल्ली— 110085	रु. 19,08,438 ∕ –		
नसीटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली—110062। अन्य पताः एलआईजी फ्लैट	11401 20, 1110 11, 12 141111 110000	(रुपये उन्नीस लाख		
i. 100, 4वाँ तल, प्लॉट नं. जीएच3 सेक्टर 28, रोहिणी, नई दिल्ली— 10085 2. बुवेन्स वारी (सह—कर्जदार), पता: एल—288, दूसरा तल,		आठ हजार चार सौ		
क्षिणपुरी निकट मरिअम्मन मंदिर, दिल्ली—110062		अड़तीस मात्र)		
यह कदम सूचना की एवजी सूचना के लिए उठाया जा रहा है। उपर्युक्त कर्जदारों और/या सह–कर्जदारों/जमानतियों को सलाह दी जाती है कि				

वे भविष्य की व्याज के साथ बकाया राशि का इस सूचना प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान कर दें अन्यथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत प्रत्याभूत परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का कब्जा लेने के लिए आगे के कदम उठाये जायेंगे (**बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के पास उपलब्ध अन्य किसी उचित उपाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के)। उपरोक्त नामित पार्टियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों जिन पर **बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का प्रभार है. को हस्तांतरित, तीसरी पार्टी हित निष्पादित न करें। हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, बजाज हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

homefirst

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः L65990MH2010PLC240703 वेबसाइटः homefirstindia.com फोन नं.: **180030008425**

कब्जा सूचना

संदर्भः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (2002 क अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे दी संबंधित तारीखों को जारी मांग सूचना के अनुसरण में अधोल्लिखित आप/कर्जदारों को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर बकाया देयों का भुगतान करने के लिए कहा। आप/सभी कर्जदार, हालांकि, निर्धारित समय अवधि में उक्त बकाया देयों को भुगतान करने में असफल रहे, इसलिए, **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** ने सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा(4) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकार रखते हुए और प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा ले लिया है:

	कर्जदारों / सह-कर्जदारों / जमानतियों के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना की तारीख को कुल बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तारीख
1.	घृत कुमार, पुष्पा देवी	फ्लैट— यूजीएफ—01, बिल्डिंग का नाम— फ्रंट एलएचएस प्लॉट नं. डी—26, गंगा विहार, गंगा विहार, गाँव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201102	05-04-2023	14,07,354	07-06-2023
2.	कपिल कुमार, ईशा पासरिचा	फ्लैट— एसएफ—07, रियर आरएचएस नॉर्थ से दूसरा पाम वैली टॉवर—2 खसरा नं. 784/1, पाम वैली, गाँव बिसरख जलालपुर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिला गौतम बुद्ध नगर, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश—201306	05-04-2023	9,54,779	07-06-2023
3.	राकेश कश्यप, शशि कश्यप	प्लॉट नं.–1, राम विहार कालोनी (प्लॉट नं. 1), खसरा नं. 1508, गाँव लोनी चकबंदी क्षेत्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102	05-04-2023	7,52,800	07-06-2023
4.	मोनू मलिक, बीना	पलैट—जीएफ 03, बिल्डिंग का नाम— एलआईजी जीएफ—03 (रियर एलएचएस) तेवतिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्लॉट नं. डी—1/5 और डी—1/6, खसरा नं. 348, रेल विहार कालोनी, गाँव सादुल्लाबाद, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश—201010		9,39,953	07-06-2023
5.	रमेश सिंह गुर्जर, राधा देवी गुर्जर	रो हाऊस ३, प्लॉट नं. ०३, विजय विहार ए स्कीम, केशव विद्यापीठ रोड, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर, राजस्थान–302027	05-04-2023	10,77,497	07-06-2023

कर्जदार द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार / जमानती और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का उपरोक्त तारीख को कब्जा ले

विशेष रूप से **कर्जदारों / जमानतियों** और सामान्य रूप में **सर्व साधारण** को संपत्तियों / प्रत्याभूत परिसंपत्तियों या इसके किसी भाग से कोई लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्तियों /प्रत्यामूत परिसंपत्तियों का कोई भी लेनदेन संपत्तियों /प्रत्यामूत परिसंपत्तियों के लिए यहाँ ऊपर उल्लिखित राशि जो **पूर्ण भुगतान तक आरो** की ब्याज सहित भुगतेय है, के लिए **होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभूत परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा—13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। स्थानः एनसीआर + राजस्थान **दिनांकः** 13.06.2023 होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के लिए

(उप-महाप्रतंधक

सूचना जारी की थी ।

कार्यान्वयन करके **07.06.2023** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

हाउसिंग प्लॉट नंबर जीएच-01/बी पर निर्मित है, सेक्टर-78, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश.

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार मोहम्मद सलीम, नगीना बेगम और महताब खान को 16.01.2023 की सचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHEAGR00001259 की राशि रू.6,74,562.37 (रूपये छह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ बासठ और सैंतीस पैसे मात्र) और 13.01.2023 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 08.06.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है । विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान

किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.6,74,562.37 (रूपये छह लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ बासत और सैंतीस पैसे मात्र) 13.01.2023 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ दंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 221 की संपत्ति के सभी भाग और खंड मापित क्षेत्र 133.33 स्क्वे. यार्डस के समभाग 111.477 स्क्वे

मीटर्स, सेक्टर 3 पर स्थित, ट्रान्सपोर्ट नगर स्किम हरिपर्वत वार्ड, तहसील और जिला आगरा। पूर्व : 60 फीट चौडी सडक़ पश्चिम : अन्य का आरक्षित प्लॉट

उत्तर : प्लॉट नं. 222 : प्लॉट नं. 220 सही/-दिनांक : 08.06.2023 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड



Fishermen anchor their boats at a safe place ahead of the landfall of Cyclone Biparjoy at Mandvi in Gujarat's Kutch district PHOTO:PTI

Ports shut, 7,500 shifted as **Gujarat braces for cyclone**

PM chairs emergency meet; 'Biparjoy' likely to make landfall near Kutch

SANJEEB MUKHERJEE & AGENCIES New Delhi/Ahmedahad, 12 June

rime Minister Narendra Modi on Monday directed officials to ensure safe evacuation of people living in vulnerable locations as cyclone 'Biparjoy' is likely to make a landfall over the Gujarat coast on Thursday afternoon.

In a high-level meeting chaired by top officials, Modi, according to a statement from the Prime Minister's Officer (PMO), directed senior officers to take every possible measure to ensure that people living in vulnerable locations are safely evacuated by the state government.

Meanwhile, in Gujarat coast, the state authorities have evacuated around 7,500 people till Monday noon and more will be done in the coming days. In neighbouring Pakistan, which is also expected to bear the brunt of the cyclone, almost 80,000 people have been evacuated to safety, news agency PTI reported.

Kandla port that handles around 22-24 vessels daily was shut since Monday morning in view of the cyclone while normal work on the Pipavav port was also stopped to minimise damage.

According to a Reuters report late in the evening, Reliance Industries, which



MODI HAS ASKED SENIOR OFFICERS TO TAKE EVERY POSSIBLE MEASURE TO ENSURE THAT PEOPLE LIVING IN **VULNERABLE LOCATIONS ARE SAFELY EVACUATED**

operates the world's largest refining complex in Jamnagar, suspended exports of diesel and other oil products from Sikka port. Reliance said in a letter sent to traders that it had declared a force majeure on exports from Sikka due to the storm. Reliance did not immediately reply to a request for comment to the Reuters report.

The PM, meanwhile, directed the officials to ensure maintenance of all essential services such as power, telecommunications, health and drinking water, and restore them immediately in the event of any damage caused to them.

Cabinet Secretary Rajeev Gauba also held a meeting of the National Crisis Management Committee to review the preparedness and directed officials to keep loss of life to zero and restore infrastructure quickly in case of damage.

'Biparjoy' is likely to make landfall near the Jakhau port in Kutch on Thursday afternoon as a 'very severe cyclonic storm' with maximum wind speed reaching up to 150 kilometers per hour, the India Meteorological Department said.

In May 2021, another powerful cyclone, 'Tauktae', had hit the Gujarat coast.

The National Disaster Response Force (NDRF) has pre-positioned 12 teams, which are equipped with boats, tree-cutters and telecom equipment, and has kept 15 teams on standby, the PMO said.

Teams of National and State Disaster Response Forces (NDRF and SDRF) were being kept on stand-by in affected districts and the administration was in touch with the Army, Navy and Indian Coast Guard, the officials said.

RESERVE PRICE				
Particulars	Reserve Price (INR)			
46,250 -7% Series III Redeemable Cumulative Preference Shares	20,58,05,300			
23,850 - 0.1% Series VI Redeemable Non- Cumulative Preference Shares	7,87,31,043			
1,25,000 - 8% Series XIII Redeemable Cumulative Preference shares	35,77,40,092			
1,05,700 - 10% Series XIV Redeemable Cumulative Preference Shares	29,73,27,409			

Celica Developers Private Limited ("Shareholder"), is a private company, incorporated on March 19, 1999 with Registered Office at 24 Park Street, Park Center Building, 9th Floor, Kolkata-700016, West Bengal. Microfirm Capital Private Limited ("Company") is a non-banking financial institution engaged in investment activities, The Shareholder, as on date holds 46,250-7% Series III Redeemable Cumulative Preference Shares, 23,850 - 0.1% Series VI Redeemable Cumulative Preference shares and 1,05,700 - 10% Series XIV Redeemable Cumulative Preference shares and 1,05,700 - 10% Series XIV Redeemable Cumulative Preference Shares ("Preference Shares") The Redeemable Community Freience Shares (Preference Shares). The Shareholder is desirous of seeking bids from eligible bidders, for acquisition of the said Preference Shares.

For the said purpose, Shareholder is proposing to undertake One-Stage Open Bidding Process ("Bid Process") to solicit binding bids in form of irrevocable offers from eligible entities/bidder(s) in accordance with regulatory guidelines ued by Reserve Bank of India ("RBI") and other relevant applicable laws. Sumedha Fiscal Services Limited (SFSL), a SEBI registered merchant banker, has been appointed by Shareholder as process advisor ("Process Advisor") for the Bid Process.

Last date for submission of Binding Bid and necessary documents, including payment of Refundable Participation Fee of Rs. 1,00,000 (Rupees One Lakh Only), is **20th June, 2023 by 17:00 hours**. Binding Bid shall be submitted in sealed envelope by way of physical copies addressed to:

Kind Attn: Mr. Debjit Adak, Assistant Vice President, Sumedha Fiscal Services Limited, Address: 6A Geetanjali Apartment, 8B Middleton Street, Kolkata-700071.

Bidder may also submit electronic copy of Bid (password protected) via emai

For all information/ updates/ amendments/ modifications/ corrigendum in relation to Bid Process, please visit http://www.sumedhafiscal.com/ on a regula basis. In case of any clarifications, please contact the following

Contact Person	Telephone Number/ Mobile Number	Email Id
Mr. Debjit Adak	(033) 6813 5900/ 9830472697	mcpl@sumedhafiscal.com

. This advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute an offer from or on behalf of Shareholder or any commitment on the part of Process Advisor/ Shareholder, The Process Advisor/ Shareholder reserve the right to withdraw suspend/ modify the Bid Process or any part thereof, to accept or reject any offer(s) at any stage of the process or to vary any farms without assigning any reasons and without any liability. This is not ai

- Any extension in timelines/ modification in content of this advertisement will not necessarily be carried out through another advertisement, but may be notified directly on the website as detailed above and interested participants should regularly visit the website to keep themselves updated regarding clarifications, modifications, amendments or extensions
- This is not an offer or an invitation to offer or undertake any sale of securities Bid Process will launch on 13th June, 2023 with advertisement/notice being put on www.sumedhafiscal.com. However, for wider publicity, this advertisement /notice is also being published in newspape

Extraordinary Together

ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: 18th Floor, 'A' Wing, Marathon Futurex,

N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013

Tel:-91-22-71061234 Fax:-91-22-23002107

CIN: L92132MH1982PLC028767

Website: www.zee.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT AND

E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108 and

110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013

('the Act'), read with Companies (Management and Administration)

Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of

India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015 ('SEBI Listing Regulations') and the Secretarial Standard - 2 on

General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of

India, each as amended, and in accordance with the requirements

prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide its General

Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September

re-appointment of Ms. Alicia Yi (DIN: 08734283) as an Independent

Director of the Company by way of voting through electronic means

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice dated May 25, 2023 along with explanatory statement through



Gujarat Alkalies and Chemicals Limited

 (An ISO Certified Company)
 (Promoted by Govt. of Gujara'

 REGD. OFFICE: P. O. RANOLI - 391 350, DIST. VADODARA, GUJARAT, INDIA'

 Tel.: +91-265-6111000 / 7119000
 Fax:+91-265-6110012

 Fmail: cosec@gacl.co.i Website: www.gacl.com

(for the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor

Education and Protection Fund (IEPF) Authority This Notice is published pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, from time to time (hereinafter referred to as "Rules").

The Rules, interalia, contain provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

The Company has sent letter dated 30.05.2023 by Regd. Post to all the concerned shareholders who have not claimed/encashed dividend for the Financial Year 2015-16 and all subsequent dividends declared by the Company to claim unpaid dividend on the said shares on or before 01/11/2023, being the due date of transfer failing which the said shares will be transferred to IEPF Authority within 30 days

The Company has also uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website at the

https://gacl.com/upload_files/07be6_LIST%202015-16.pdf

The details covers such shares in respect of which the dividend has not been claimed by the concerned shareholders for seven consecutive years. The said shares correspond to the unclaimed dividend for the Financial Year 2015-16.

In case the Company does not receive any communication along with valid claim for dividend from the concerned shareholders by 01/11/2023 or such other date as may be specified, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Companies Act. 2013 and Rules, transfer the shares to the IEPF Authority as per procedure stipulated in the Rules. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

Shareholders may note that, both the unclaimed dividend(s) and the share(s), transferred to IEPF Authority can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact to the Company or to the Company's Registrar and Transfer Agent - **Link Intime India Private Limited,** B-102 & 103, Shangrilla Complex, First Floor, Opp. HDFC Bank, Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara- 390 020, Phone no. (0265) 6136000. email : vadodara@linkintime.co.in iepf.shares@linkintime.co.in.

For Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd

S S Bhat Company Secretary 8

Place: Vadodara Date: 12.06.2023 Chief General Manager (Legal, CC & CSR)

Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. Phone: +91 (11) 41029297.

Company will be held on Thursday, July 06, 2023 at 09:00 A.M (through Vide Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Mode (OAVM) to transact the business specified in the Notice convening the said AGM in compliance with the Ministry of Corporate Affair ("MCA") vide its circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, June 15 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, and January 13, 2021, May 05, 2022 an December 28, 2022 (referred as 'MCA Circulars') and SEBI vide its Circular No. SEB HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, and Circular No. SEBI. HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. (referred as SEBI Circular') SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 companie are allowed to hold Annual General Meeting through Video Conferencing/ Other Audi video Mode (VC/OAVM) i.e., without the physical presence of members at a commo enue. In compliance with the said Circulars, the 31st AGM shall be conducted through V OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Compar The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are mentioned in the Notic

Depository Limited (NSDL) containing notice of the 31st AGM along with the Annual Repo for the financial year ended March 31, 2023 to the members whose email IDs ar registered with the Depositories or the Company. In view of aforesaid MCA & SEB Circulars, physical copies of the AGM Notice including Annual Report are not bein dispatched and the AGM Notice along with the Annual Report for FY 23 has been sent onl

Shareholders whose email IDs are not registered, are requested to contact the Compar at investors@coforoge.com or NSDL/CDSL (in case of dematerialized shares) or Alank Assignments Limited ('RTA') at rta@alankit.com (in case of physical shares) and send scanned copy of the request letter signed by all the shareholders along with self-attest

The instruction for attending the meeting through VC/OVAM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote at the AGM through e-voting is provided n the Notice convening the AGM. The Notice also contains the instructions with regard to ogin credentials for shareholders, holding shares in physical form or in electronic form who have not registered their email address either with the Company or their respective DP. Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose uorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 2 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulatio 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standards on General meetings ('SS-2') and other applicable provisions, any, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote o the business as set forth in the Notice of the 31st AGM from a place other than the place of venue of AGM by electronic means. The Company has engaged services of NSDL to

The remote e-voting period commences on Sunday, July 02, 2023 at 09:00 A.M. (IST) an ends on Wednesday, July 05, 2023 at 05:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Members of the Company holding shares in ohysical or dematerialized form as on the cut-off date, being Thursday, June 29, 2023 may cast their vote by remote e-voting or may vote at the AGM. The voting rights of the nembers shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Compar as on cut-off date. A person whose name is recorded in the Register of Members or in th Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date sha be entitled to avail the facility of voting through remote e-voting or at the AGM. A perso who is not a member on the cut-off date shall treat this Notice for information purposes onl

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login I and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investors@coforge.com lowever, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can us your existing user ID and password for casting your vote.

Further, the facility of e-voting will also be made available at the AGM and membe mote e-voting will be entitled to attend the AGM but shall not be entitled to vote again.

Nityanand Singh & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer t scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its notification dated January 24 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the sam and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits o dematerialization. Members are advised to dematerialize the shares held by them

In case of any queries or grievances relating to electronic voting, Members may refer to requently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available a the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call at toll free no.: 1800 102

Dated : June 12, 2023 Place: Noida

Email: investors@coforge.com Website: https://www.coforge.com NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of t

The Company has on June 12, 2023 sent the emails through National Securiti Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download it from

the website of the Company at www.coforge.com under the 'investors' section or may request for a softcopy of the same by writing to the Company Secretary at the above mentioned email id or registered office address of the Company. The aforesaid Notice of the AGM & Annual Report is also available on the websites of National Stock Exchange at https://www.nseindia.com and Bombay Stock Exchange at https://www.bseindia.com where the securities of the Company are listed.

copies of PAN Card and address proof to register their email ids.

The members holding shares in physical form are requested to consider converting the physical shares into dematerialized and eliminate all risks associated with the physical

provide remote e-voting facility.

The procedure of e-voting/attending AGM is given in the Notice of AGM.

attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting shall be able t exercise their right at the AGM. Members who have already cast their votes through Mr. Nityanand Singh, Company Secretary (Membership No. FCS 2668) from M/s

physical form. Members may contact the Company in this regard

990 and 1800 22 44 30 . Members may also write to Company Secretary a

For Coforge Limite

Barkha Sharma

FARMERS BLOCK DELHI-CHANDIGARH HIGHWAY, **DEMAND MSP FOR SUNFLOWER SEED**



Farmers from Haryana blocked the Delhi-Chandigarh highway on Monday in protest over not getting a minimum support price (MSP) in the procurement of sunflower crop. The protests erupted after the 'MSP Dilao, Kisan Bachao mahapanchayat', called by Bharatiya Kisan Union (BKU) (Charuni), was held at a grain market in Pipli close to National Highway-44. BKU leader Rakesh Tikait said the Samyukt Kisan Morcha would start a pan-Indian agitation if a law on MSP. "as promised by the Union government", is not in place

China asks last **Indian journo** to leave by end of this month

The last Indian journalist in China has been asked to leave, as Beijing and New Delhi eject each other's reporters in a tit-for-tat row deepening a rift between the Asian economic powerhouses.

Chinese authorities have instructed the Press Trust of India reporter to leave China this month according to a person familiar with the matter. His departure will wipe India's media presence from China.

Indian media outlets had four reporters based in China earlier this year. The Hindustan Times reporter left over the weekend, while two journalists from Prasar Bharati and The Hindu were denied visa renewals in China in April. China has gone from having 14 journalists in India in 2020 to just a single reporter, Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin told reporters at a regular press briefing in Beijing on Monday.

'Interest demand in pre-import regularisation cases can be contested'



T N C RAJAGOPALAN

CBIC Circular no.16/2023-Cus dated June 7, 2023 asks us to pay IGST along with interest for violation of the preimport condition. Is there any way to reduce the interest liability? The interest amounts to almost the same as the IGST amount, as the imports were made more than five years ago. Section 47(2)(b) of the Customs Act, 1962 says that "the importer shall pay the import duty within one day

(excluding holidays) from the

date on which the bill of entry

is returned to him by the

proper officer for payment of duty in the case of assessment, reassessment or provisional assessment and if he fails to pay the duty within the time so specified, he shall pay interest on the duty not paid or short-paid till the date

of its payment at such rate..." The CBIC Circular referred to above says that the bill of entry will be assessed again and then you have to make the IGST payment. So, if you make the payment within one day of such

assessment/reassessment, vou can very well take a view that no interest is payable in accordance with Section 47(2)(b). You can also contest the demand for interest on the basis of revenue neutrality by applying the ratio of the Bombay High Court decision in Mahindra and Mahindra Ltd. [2022-TIOL-1319-HC-MUM-CUS]. However, the concerned officers will ask for interest as per the Board's Circular. So, you may pay the interest

along with IGST, redeem the

advance authorisation, and then contest the demand for interest later.

CBIC Circular no. 16/2023-Cus dated June 7, 2023 says that the TR-6 challan is not a prescribed document for taking input tax credit (ITC). We have already paid duty (including IGST) through the TR-6 challan towards regularisation default under advance authorisation and taken ITC of the IGST. Will

the ITC taken be under jeopardy due to this circular? Para 7.1 of Chapter 3 of the Customs Manual 2023 says that the duty can be paid in the designated banks through the TR-6 challan. The facility of e-payment of duty through multiple banks has also been available since 2007 at all major Customs locations, Para 3.3 of the CBEC Circular 09/2023-Cus dated March 30, 2023 says that payments through the TR-6 challan through authorised banks at various

customs locations are

exempted from the provisions of payment through electronic cash ledger.

So, payment through the TR-6*challan* is a legitimate form of payment of customs duties. The Customs at many ports were refusing to reassess the bill of entry and so, there was no option but to pay the duty through TR-6 challans. I think the departmental officers and auditors understand this and do not dispute the ITC taken but if they do, you will have to litigate on the issue.

Can we adjust the payables for services imports against receivables for goods exports, and vice-versa?

C.26.1 of the Reserve Bank of India FED Master Direction no.16/2015-16 dated January 1,2016 does not allow that.

Business Standard invites readers SME queries related to GST, export and import matters. You can write to us at smechat@bsmail.in

No. Condition (f) at Para

Place: Mumbai Date: June 12, 2023

24997000.

28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, May 5 2022 and December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), and any other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), seeking approval of the Members of Zee Entertainment Enterprises Limited (the 'Company'), on the Special Resolution forming part of the Postal Ballot Notice, pertaining to

electronic mode on June 12, 2023 to those Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners and whose e-mail IDs are registered with the Company/Company's Registrar and Transfer Agent ('RTA') / Depository Participants ('DPs') as on the cut-off date i.e. Friday, June 2, 2023. Accordingly, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members. The Members, whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday, June 2, 2023, being the cut-off date, are

entitled to vote on the Resolution set forth in Postal Ballot Notice through

remote e-voting only. The voting rights of Members shall be in proportion

to their share in the paid-up equity share capital of the Company as or the said cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL'), for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The detailed procedure for remote e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The remote e-voting period commences from Wednesday, June 14, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and concludes on Thursday, July 13, 2023 at 5:00 p.m (IST). The remote e-voting will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Resolution passed by the Members through the Posta Ballot (through remote e-voting) shall be deemed to have been passed as it has been passed at a General Meeting of the Members. The

Postal Ballot, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting, i.e. on Thursday, July 13, 2023. Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending a mail along with the relevant documents to the Company's RTA, Link Intime India Private Limited, Unit: Zee Entertainment Enterprises Limited, C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West-400083 or the scanned copies of the documents may alternatively be mailed to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or to the Company at shareservice@zee.com. Members holding shares in demat form who have not updated their email addresses with the depository/depository participant are requested to approach the concerned depository

resolution, if approved by the requisite majority of Members by means of

www.zee.com and also on the website of stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Vinita Nair (Membership No. F10559, COP No.11902) Senior Partner, M/s. Vinod

Kothari & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website i.e

participant to update their email addresses

the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. The result of the e-voting by Postal Ballot will be announced within 48 hours from the conclusion of the e-voting. The result declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website viz www.zee.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com. The Company shall simultaneously intimate to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the equity shares of the Company are listed.

In case of any query on remote e-voting. Members may refer to FAQs

and/or e-voting user manual available on website of NSDL at

www.evoting.nsdl.com or call on toll free no. 022-48867000 and 022-

By Order of the Board For Zee Entertainment Enterprises Limited Ashish Agarwal Company Secretary Membership No. FCS 6669